–

**प्रेस नोट** **दिनांक 24.10.2020**

**सराहनीय कार्य जनपद बागपत**

➢ **थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बडौत मे हुई सीमेंट व्यापारी की हत्या की घटना का सफल अनावरण, हत्या में संलिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व एक खोखा कारतूस नाजायज व घटना में लूट के रूपयों मे से 25 हजार रूपये नगद बरामद।**

---

आज दिनाकं 24.10.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के निर्देशन मे घ ाटनाओ के अनावरण तथा वाँछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बडौत के कुशल नेतृत्व में थाना बडौत पुलिस द्वारा बिनौली रोड थाना बडौत क्षेत्र में दिनांक 09. 10.2020 को सीमेन्ट व्यापारी प्रदीप आत्रेय से हुई लूट के हत्या का सफल अनावरण कर एक अभियुक्त कमल पँवार पुत्र महीपाल सिह निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत को आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिंदा कारतूस व लूटी हुई रकम मे से 25 हजार रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरणः–**

दिनांक 09.10.2020 को शाम करीब 07.30 बजे सीमेन्ट व्यापारी प्रदीप आत्रेय अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी बाईक सवार दो अज्ञात व्यक्ति दुकान पर आये एंव प्रदीप आत्रेय व अज्ञात बदमाशो के बीच हाथापाई हो गयी। उसमें अज्ञात बदमाश दुकान से निकलकर भागे। प्रदीप आत्रेय उनका पीछा कर रहे थे। पकडे जाने के डर से बदमाशो द्वारा प्रदीप आत्रेय को गोली मार दी। जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गये। उनको गम्भीर हालत होने की वजह से मेरठ रैफर कर दिया गया। जहां पर प्रदीप आत्रेय की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। इस घटना के सम्बन्ध में परिजनो के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर पर थाना बडौत पर मु0अ0स0 854/20 धारा 394, 302 भादवि बनाम अज्ञात अभियुक्तो के विरुध पंजीकृत किया गया। घटना स्थल का वरिष्ठ अधिकारी गणो द्वारा निरीक्षण किया गया। व घटना की गम्भीरता को देखते हुये। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत के नेतृत्व मे चार टीमो का गठन किया गया। जो इस प्रकार है।

1– थानाध्यक्ष बडौत मय टीम
2–थानाध्यक्ष रमाला मय टीम
3–सर्विलांस प्रभारी मय टीम
4–स्वाट टीम प्रभारी मय टीम

चारो टीमो के द्वारा घटना से सम्बन्धित सभी बिन्दुओ पर गहन परीक्षण किया गया। गठित टीमो द्वारा अपने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। पतारसी सुरागरसी व घटना स्थल के आस पास आने जाने वाले मार्गो ,बाजार व अन्य महत्वपूर्ण स्थानो की सीसीटीवी फुटेज चौक की गयी। व बडौत कस्बे के महत्वपूर्ण स्थानो का सर्विलांस टीम द्वारा बीटीएस प्राप्त कर उनका विषलेशण किया गया। मुखबिर द्वारा बताये गये एंव सीसीटीवी फुटेज द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण फुटेज/फोटो के आधार पर फुटेज/फोटो मे आये व्यक्ति की पहचान कमल पंवार नि0 ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत के रुप मे हुई ।

**कमल एक शातीर अन्तर्जनपदीय अपराधी है।** जो कुख्यात सरगना उधम सिंह करनावल का शूटर है। उधम के कहने पर हत्या एवं अन्य अपराध करता रहा है। कमल शबगा की गिरफ्तारी हेतु
सभी टीमे कार्य कर रही थी। जिस क्रम में आज बडौत पुलिस द्वारा कमल शबगा को गिरफ्तार कर लिया गया।

**<u>पूछताछ का विवरणः—</u>**

कमल शबगा द्वारा पूछताछ मे बताया गया। कि वह उधम करनावल के लिये पिछले कई वर्षो से लगातार कार्य कर रहा है। उसके कहने पर पहले भी कई हत्या कारित कर चुका है। जिनमें पूर्व में भी जेल जा चुका है। अभी भी वह उधम गैंग के कई सदस्यो के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसके द्वारा बताया गया कि वह अब उधम से अलग अपनी पहचान बनाना चाहता था। जिसमे उसने खुद अपने नाम पर रंगदारी मांगनी शुरु की। और इसलिये वह अपने साथी बन्टी के साथ प्रदीप आत्रेय की दुकान पर रंगदारी मांगने गया था। वहां पर प्रदीप आत्रेय के साथ उसकी हाथापाई हो गयी। उस हाथापाई मे गल्ले मे रखी नगदी उठाकर भागने लगे। प्रदीप आत्रेय को पीछा आता देख कमल शबगा ने प्रदीप आत्रेय पर तमंचे से फायर कर दिया। जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गये। घटना के बाद दोनो अभियुक्त अपनी मो0सा0 स्पेलन्डर पर घटना स्थल से नहर के रास्ते होते हुये भाग गये थे। कमल ने पूछने पर बताया कि बाद मे बन्टी कमल को गांव मे छोडकर शामली अपने घर चला गया था।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—</u>**

कमल पँवार पुत्र महीपाल सिह निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

**<u>बरामदगी का विवरण—</u>**

1—हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व एक खोखा कारतूस।
2—लूट के रूपयो मे से हिस्से मे आये रूपये मे बचे 25 हजार रूपये।

**<u>अभियुक्त कमल पवांर का अपराधिक इतिहास—</u>**

1—मु0अ0सं0 364/2014 धारा 147, 148, 149, 302 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
2—मु0अ0सं0 554/2014 धारा 147, 148, 149, 302, 120बी भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ।
3—मु0अ0सं0 318/2014 धारा 324, 504, 506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
4—मु0अ0सं0 980/2014 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
5—मु0अ0सं0 59/2015 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।
6—मु0अ0सं0 73/2019 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर।
7—मु0अ0सं0 57/2019 धारा 307, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर।
8—मु0अ0सं0 196/2019 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
9—मु0अ0सं0 199/2019 धारा 41/120 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
10—मु0अ0सं0 198/2019 धारा 25 षस्त्र अधिनियम थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
11—मु0अ0सं0 854/20 धारा 394, 302, 411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
12—मु0अ0स0—898/20 धारा—3/25/27 षस्त्र अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली टीमः–**

1–थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार शर्मा
2–का 229 देवेश कसाना
3–का1792 वरूण वीर सिह
4–का355 हरीश कुमार
5.का 461 रोहित भाटी
6–का478 अजित
7–का 1691 अंशुल

- **थाना छपरौली पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 पेटी देषी षराब हरियाणा मार्का बरामद।**

---

**थाना छपरौली–** पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2020 को षबगा–मण्डी रोड से अभियुक्त विनोद पुत्र आषाराम निवासी ग्राम षबगा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 पेटी देषी षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना बडौत पुलिस द्वारा पषु कूरता अधिनियम के अर्न्तगत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक टाटा–407 गाडी मय कूरतापूर्वक भरी हुई 05 भैंस बरामद।**

---

**थाना बडौत–** पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.10.2020 को चैकिंग के दौरान विनय पेट्रोल पम्प के पास दिल्ली सहारनपुर रोड से अभियुक्त 1–अषोक पुत्र धर्मपाल निवासी भावखेडी थाना सूरजगढ जनपद झुझुनु राजस्थान 2–षाहिद पुत्र निसार निवासी ग्राम बगरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक गाडी–407 मय कूरतापूर्वक भरी हुई 05 भैंस बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना बडौत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस नाजायज बरामद।**

---

**थाना कोतवाली बागपत–** पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2020 को मु0अ0सं0 654/2020 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 504, 506, 336, 427 भादवि में वांछित अभियुक्त सादाब पुत्र सलाम निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**थाना रमाला–** पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2020 को मु0अ0सं0 179/2020 धारा 353,332,504 भादवि में वांछित अभियुक्त 1–आदेष पुत्र चरणसिंह निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना रमाला पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।